सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 33/2016

बउनवान

बाबूलाल आयु 35 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी चैनपुरिया तहसील बारॉ जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारॉ जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :— 1— श्री रमेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक (अपीलांट)

2— पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 31.1.2017

यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारॉ द्वारा अंतरित की गई है। अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारॉ के प्रकरण संख्या 68/2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 28.4.2014 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम चैनपुरिया की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2070 में खसरा नम्बर 424 की रकबा 0.30 है. भूमि पर फसल सरसो की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/— रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 25.1.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पृथक से प्रकरण संख्या 1/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेश दि. 25.1.2017 से खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अपीलांट का वर्तमान मे उक्त विवादित भूमि पर कब्जा नही है, अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से कब्जा छोडने संबंधित हल्का पटवारी की रिपोर्ट दि. 24.1.2017 पत्रावली मे संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को तामील प्रोपर नही करवायी गई ओर अपीलांट के विरूद्व एकतरफा निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया, मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को सजायाब किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे दिनांक 22.1.2017 को गिरफ्तार किया जाकर जेल भिजवा दिया गया है। जो करीबन 10 दिन से न्यायिक अभिरक्षा मे है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय साईक्लोस्टाईल परफोर्मा पर पारित किया है, जो स्पेसिफिक निर्णय की श्रेणी मे आता है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सरसो की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को तामील प्रोपर करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमण किया गया था, जिसे पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2070 मे किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। पत्रावली मे अतिक्रमित रकबा कम है, ओर अपीलांट 10 दिन से न्यायिक अभिरक्षा मे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील प्रोपर करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारॉ मे अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो मे जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाही भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारॉ द्वारा प्रकरण संख्या 68/2014 मे पारित आदेश दिनांक 28.4.2014 मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर पर माफ किया जाता है, कि अपीलांट का यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम चैनपुरिया तहसील बारॉ के खसरा नम्बर 424 की रकबा 0.30 हेक्टयर भूमि किस्म चारागाह पर वर्तमान मे कब्जा है, तो उक्त भूमि से कब्जा छोड दे एवं अपीलांट को जेल से रिहा किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष 10,000/– रूपये का जमानतनामा व इसी कदर 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका पेश कर दे, तो तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 68/2014 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 28.4.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारॉ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.4.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.1.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां